

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(14)वित्त/आब/2020

जयपुर, दिनांक: 13/04/2026

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को वर्ष 2026-27 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम सर्वश्री	पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री प्रकाश चन्द रैगर पुत्र श्री नाथूराम रैगर	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त	07.07.1966	31.07.2026
2.	श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री माधव प्रसाद जैन	उपायुक्त/जिला आबकारी अधिकारी(वरिष्ठ वेतनमान)	01.02.1967	31.01.2027
3.	श्री अनिल कुमार यादव पुत्र श्री बंशीधर यादव	उपायुक्त/जिला आबकारी अधिकारी(वरिष्ठ वेतनमान)	16.04.1966	30.04.2026
4.	श्री बाबूलाल जाट पुत्र श्री श्रीराम जाट	उपायुक्त/जिला आबकारी अधिकारी(वरिष्ठ वेतनमान)	02.04.1966	30.04.2026
5.	श्री रियाजुद्दीन उस्मानी पुत्र श्री ग्यासुदीन	जिला आबकारी अधिकारी (सामान्य वेतनमान)	16.07.1966	31.07.2026
6.	श्री सहदेव सिंह रत्नू पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह रत्नू	जिला आबकारी अधिकारी (सामान्य वेतनमान)	01.07.1963	30.06.2026
7.	श्री जयकृत सिंह राठौड़ पुत्र श्री सुमेर सिंह राठौड़	जिला आबकारी अधिकारी (सामान्य वेतनमान)	30.06.1966	30.06.2026
8.	श्री हाजियाराम राठौड़ पुत्र श्री भबूत राम राठौड़	जिला आबकारी अधिकारी (सामान्य वेतनमान)	21.07.1966	31.07.2026
9.	श्री रामकरण यादव पुत्र श्री कन्हैया लाल यादव	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल	01.07.1966	30.06.2026
10.	श्री भीया राम गोदारा पुत्र श्री लूना राम गोदारा	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल	11.08.1966	31.08.2026
11.	श्री देवा राम चौधरी पुत्र श्री शिवजी राम	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल	06.07.1966	31.07.2026

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित क्रम संख्या 1-4 एवं 6-11 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

**क्रम संख्या 05** पर अंकित श्री रियाजुद्दीन उस्मानी पुत्र श्री ग्यासुदीन, जिला आबकारी अधिकारी(सामान्य वेतनमान) के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम, 16 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही विचाराधीन है।

कमरा नं. 4120 व 5125 मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302005  
Room No.4120 & 5125, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005  
Phone: 0141-5153222 Ext. 24470 & 24458, Fax No. 0141-2227239 website:  
www.finance.rajasthan.gov.in.email: dsfexcise@rajasthan.gov.in

कम संख्या 07 पर अंकित अधिकारी श्री जयकृत सिंह राठौड के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम, 17 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांक प.19(जन)()वि.जांच/आब/2025/650 दिनांक 12.09.2025 विचाराधीन है।

कम संख्या 11 पर अंकित अधिकारी श्री देवा राम चौधरी के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम, 17 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांक प.19(जन)()वि.जांच/आब/2025/510 दिनांक 16.07.2025 विचाराधीन है

आज्ञा से,

  
(वरुण मिश्रा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक प01(ओ)(02) संस्था/ आब/2023/EF-02084/170 दिनांक 11.02.2026 एवं प01(ओ)(02) संस्था/आब/ 2023/EF-02084/268 दिनांक 13.03.2026 के संदर्भ में भेजकर लेख है कि उक्त अधिकारियों की सेवानिवृत्ति तिथि तक इनके विरुद्ध कोई भी जांच लम्बित/विचाराधीन नहीं होना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक(कम्प्यूटर सेल), वित्त विभाग।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. निजी पत्रावली संबंधित अधिकारीगण।
7. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव

कमरा नं. 4120 व 5125 मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

Room No.4120 & 5125, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005

Phone: 0141-5153222 Ext. 24470 & 24458, Fax No. 0141-2227239 website:

www.finance.rajasthan.gov.in.email: dsfexcise@rajasthan.gov.in